न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 05/2017 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— तिलोकचन्द पुत्र श्री निराणाराम उर्फ नारायणराम जाति नाई निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।

——— **अपीलान्ट**

—— **बनाम** ——

राजस्थान राज्य।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :— श्री हनुमानसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 31.7.19

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 18.04.2017, जिसमें अपीलांट के नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने पिता निराणाराम के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 68/80 पर दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं. 4951 को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष दिनांक 19.1.16 को निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू, एवं उप वन संरक्षक चूरू से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू व उप वन संरक्षक, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को मृतक प्रकरण में वारिसान के अनापत्ति का शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत किये। अपीलांट के पिता के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 68/80 दिनांक 31.12.2014 तक नवीनीकृत था, अपीलांट के पिता श्री निराणाराम उर्फ नारायणराम का देहावसान दिनांक 21.02.2013 को हो गया था। अपीलांट ने अपने नाम से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु दिनांक 19.01.2016 को जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवेदन पत्र प्रस्ततु किया, जो शस्त्र अधिनियम में दिये प्रावधानों के तहत अत्यधिक विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के कारण अपीलांट का आवेदन पत्र अस्वीकार कर उसके पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज गन को forfeited जब्त किये जाने के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री हनुमानसिंह ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 68/80 पर दर्ज 12 बोर गन नं. 4951 एसडीएम चूरू द्वारा जारी शुदा है। अपीलांट के पिता श्री निराणाराम उर्फ नारायणराम का देहान्त दिनांक 21.02.2013 को हो चुका है। अपीलांट ने अपने मृतक पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज उक्त गन को प्राप्त करने के उद्देश्य से मृतक का एक मात्र पुरूष उत्तराधिकारी कानूनी वारिस होने के कारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबंध में मृतक के शेष वारिसान की सहमति पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। अपीलांट ने अपने पिता के स्वर्गवास के पश्चात् उत्तराधिकारी होने के कारण पैतृक शस्त्र के लिए अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु नियमानुसार आवदेन पत्र पेश किया था जिसमें सम्पूर्ण तफ्तीश होकर अपीलांट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा कर दी गई परन्तु अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, चूरू ने उक्त आवेदन पत्र को अपने आदेश दिनांक 18.04.2017 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 21(2) व आर्म्स नियम 47(2) के तहत अवधि बाहर करके फोरफिटेड कर दिया गया। अपीलांट द्वारा निर्धारित समय में नियमानुसार अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नियमानुसार थाना पुलिस भालेरी में जमा करवा दिया था तथा अपने नाम से नया शस्त्र लाईसेंस जारी करवाने हेतु आवेदन पेश कर दिया था। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, चूरू ने बिना किसी तथ्य व साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उक्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जो काबिले खारिज है। अपीलांट द्वारा शस्त्र लाईसेंस जारी करवाने हेतु समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करके आवेदन पेश किया था, फिर भी अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जो गलत है। जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू व वन विभाग द्वारा भी उक्त लाईसेंस को जारी करने की अनुशंषा की गई है, जिस पर कोई गौर नहीं किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। अपीलांट शांतिप्रिय नागरिक है और अपने कृषि कार्यो एवं जान–माल सुरक्षा व

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आत्म रक्षा के लिये शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाना चाहता है जिसको जारी नहीं करके गलत आधारों पर उक्त आवेदन पत्र खारिज किया गया है, जो गलत है। बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट ने जिला मजिस्ट्रेट, चूरू ने केवल मात्र वैध उत्तराधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में शस्त्र लाईसेंस को फोरफिटेड किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अपीलांट मजदूरी पेशा व्यक्ति है, जो केवल मात्र शिक्षित है, हस्ताक्षर करना ही जानता है तथा घर में एक मात्र कमाऊ पुत्र है इसलिये मजदूरी करने बाहर चला गया था, वापिस घर आने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र के संबंध में कागजात मिलने पर आवेदन पत्र पेश किया, अतः देरी के लिए अपीलान्ट की मजबूरी रही है । जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा मृतक प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आर्म्स एक्ट में दिये गये प्रावधानों के तहत निश्चित समयावधि में आवेदन करना होता है, परन्तु अपीलांट ने जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में आर्म्स एक्ट की धारा 21(3) एवं आर्म्स नियम 47(2) के परन्तुक के अन्तर्गत शस्त्र को forfeited (जब्त) किये जाने के आदेश दिये हैं, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।
6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलान्ट ने मृतक प्रकरण में अपने पिता श्री निराणाराम उर्फ नारायणराम का दिनांक 21.02.2013 देहावसान हो जाने के पश्चात् पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज हथियार को प्राप्त करने हेतु दिनांक दिनांक् 19.01.2016 को जिला मजस्ट्रेट, चूरू के समक्ष अपने नाम से शस्त्र लाईसेंस जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें 3 वर्ष का विलम्ब है। अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, चूरू ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 में शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (3) एवं शस्त्र नियम 47(2) के परन्तुक के अन्तर्गत शस्त्र को forfeited (जब्त) किये जाने के आदेश दिये हैं । आवेदक ने जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु 3 वर्ष पश्चात शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जो अत्यधिक विलम्ब है । अपीलान्ट ने विलम्ब के सम्बन्ध में अपील में जो कारण अभिलिखित किये हैं, वह सन्तोषजनक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वरवक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने भी विलम्ब से आवेदन करने के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत आदि हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी दशा में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश उचित प्रतीत होता है।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 में हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 31..07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर